5ccl 3535
13/12/19

46

3

# चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सहा0 कुलसचिव (लेखा)/4993-(10)
दिनांक: 10.12.2019

सहा0 कुलसचिव (लेखा) / का0 अधीक्षक (लेखा)

वित्त समिति की दिनांक 26.11.2019 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.11.2019 द्वारा प्रस्ताव सं0 11 के सन्दर्भ में निम्न संस्तुति की गई।

प्रस्ताव 11 विश्वविद्यालय परिसर स्थित नियमित एवं स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों के छात्रों की टयूशन फीस व विश्वविद्यालय के समस्त पाठयक्रमों के परीक्षा शुल्क की वापसी के संबध नियम बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति :- समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर स्थित नियमित एवं स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों के छात्रों की टयूशन फीस व विश्वविद्यालय के समस्त पाठयक्रमों के परीक्षा शुल्क की वापसी के संबंध नियम बनाये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्देश दिया गया कि परिसर स्थित विभिन्न विभागों के पाठयक्रमों की फीस वापसी आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के साथ-साथ डी0एस0डब्लू द्वारा भी अनुशंसा करते हुये लेखा विभाग को प्रेषित किये जायेगें।

**विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों की टयूशन फीस निम्न प्रकार वापिस की जायेगी :**

1 यदि छात्र का प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है तो 100% फीस वापिस की जायेगी।

2 यदि छात्र द्वारा स्वंय प्रवेश निरस्त कराया जाता है तथा छात्र द्वारा कोई भी कक्षा अटेंड नही की गई है तथा छात्र के स्थान पर यदि रिक्त सीट पर प्रवेश नही हुआ है तो 20 प्रतिशत कटौती करते हुये फीस वापिस की जायेगी।

3 यदि छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराया जाता है तथा छात्र किसी कक्षा में सम्मिलित नही होता है तथा रिक्त सीट पर अन्य का प्रवेश हो जाता है तो पूरी फीस वापिस की जायेगी।

4 यदि छात्र कक्षाओं में सम्मिलित हुआ है तो फीस वापिसी नही की जायेगी।

Copy to: A/c Section

परीक्षा शुल्क हेतु निम्न प्रकार फीस वापिस की जायेगी :

1 छात्र द्वारा डबल फीस जमा करने पर पूरी फीस वापिस की जायेगी।

2 छात्र द्वारा फीस जमा करने व फार्म नही निकलने पर पूरी फीस वापिस की जायेगी।

3 छात्र द्वारा फीस जमा करने व फार्म विश्वविद्यालय में जमा न करने पर 20 प्रतिशत की कटौती करते हुये फीस वापिस की जायेगी।

4 छात्र द्वारा गलत कोर्स की फीस जमा कर दिये जाने पर 20 प्रतिशत की कटौती करते हुये फीस वापिस की जायेगी।

कृपया उपरोक्त संस्तुति अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि 1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. डी0एस0डब्लू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वित्त-अधिकारी